शासन-प्रशासन

दैनिक भास्कर, पटना, सोमवार, 30 जुलाई, 2018

रेरा ने 16 बिल्डरों और प्रमोटरों को दिया नोटिस, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा 55 प्रोजेक्ट का काम

निर्देश के बावजूद 90 फीसदी बिल्डर नहीं सौंप रहे हैं पुराने रिकॉर्ड

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने 16 बिल्डरों और प्रमोटरों को नोटिस जारी किया है। इन पर बिना निबंधन के फ्लैट की बुकिंग और जमीन की खरीद-बिक्री का आरोप है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने बताया कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और रोहतास जिलों में चल रहे 55 प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सूबे में रेरा के लागू होने के बाद बिना निबंधन कराए जमीन, अपार्टमेंट और बिल्डिंग की बिक्री नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि निबंधन नहीं कराने वाले बिल्डरों पर प्रोजेक्ट की लागत का दस फीसदी तक जुर्माना किया सकता है। इस एकट में जुर्माना के साथ तीन साल जेल की सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अभी भी 90 फीसदी ऐसे बिल्डर हैं, जो रेरा को पुराना रिकार्ड नहीं सौंप रहे। उन्होंने कहा कि सूबे में काम करने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों को निबंधन कराना होगा। आरबी सिन्हा ने कहा कि सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को साइट पर होर्डिंग लगाने का आदेश दिया है। इसमें प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर प्रमोटर का नाम, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रेरा का वेबसाइट, एजेंट का नाम और टेलीफोन नंबर, काम शुरू होने और समाप्त होने की तारीख दर्ज कराना होगा। होर्डिंग साइट के अलावा कारपोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी लगाया जाएगा।